

कार्यालय निदेशक सैक्युडरी

शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक 23/65-2000-वि-1/31

दिनांक, चण्डीगढ़ 24.4.2000.

कैम्ब्रिज स्कूल, रेवाड़ी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से दसवीं स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट-1995 के जो रूप बने हैं, वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

प्रधान महापात्र
निदेशक सैक्युडरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

पूरा क्रमांक: सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 25.4.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी ।
2. सुओओ, कैम्ब्रिज स्कूल, रेवाड़ी ।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली - 110 092.

उपरोक्त प्रमाणपत्र
जप्रीत विद्यालय-1
सूत्र: निदेशक सैक्युडरी शिक्षा हरियाणा ।

Principle
Principal
Cambridge School
Rewari

Kishu
CHAIR PERSON
CAMBRIDGE SCHOOL
REWARI